कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 423/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.11.2026

☐ *थाना सरायमीर पुलिस की मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय शातिर एवं अभ्यस्त पशु चोर गोली लगने से घायल/गिरफ्तार।*

☐ थाना सरायमीर, दीदारगंज, अहरौला एवं बरदह क्षेत्र में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्जनपदीय शातिर पशु चोर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चोरी के 04 पशु *अवैध तमंचा, कारतूस एवं चोरी में प्रयुक्त परिवर्तित नम्बर प्लेट लगी पिकअप बरामद* ।

☐ *संगठित गिरोह बनाकर पशु चोरी, गोवध, लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, मऊ एवं संतकबीरनगर में कुल 22 अभियोग पंजीकृत।*

घटना का विवरण-

दिनांक 03.11.2026 को थाना सरायमीर पर वादी रोहित चौहान पुत्र रामदयाल चौहान निवासी ग्राम नरदह चक नरदह, पोस्ट नन्दाव, थाना सरायमीर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 01.11.2026 की रात्रि करीब 11:00 बजे अज्ञात चोर उनकी भैंस चोरी कर पिकअप वाहन से लेकर फरार हो गए। इस संबंध में मु0अ0सं0 274/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 03.11.2026 को थाना दीदारगंज पर वादी हरेन्द्र चौहान पुत्र हीरालाल चौहान निवासी ग्राम आदममऊ, थाना दीदारगंज की भैंस चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 203/2026 धारा 303(2) बीएनएस तथा दिनांक 30.10.2026 को थाना अहरौला पर वादी सिधारी राम पुत्र स्व0 तिजू राम निवासी ग्राम बनकट की बकरी चोरी होने के संबंध में मु0अ0सं0 347/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त थाना बरदह क्षेत्र में भी एक भैंस चोरी होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में जांच प्रचलित है।

पुलिस मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वांछित एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07/08.11.2026 की रात्रि में थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। मध्य रात्रि के पश्चात पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप वाहन से पशु चोरी करने वाले दो शातिर अपराधी चोरी के पशुओं को लेकर सिकरौर, मार्टिनगंज होते हुए जौनपुर के मड़ियाहूं पशु बाजार की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम नोनारी के पास संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा बैरियर तोड़कर तेजी से वाहन भगाने का प्रयास किया गया।

पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए कौरागहनी नहर के पास घेराबंदी की गई। इस दौरान पिकअप सवार अभियुक्त वाहन को घंगवल मार्ग की ओर मोड़कर भागने लगे, लेकिन करीब 200 मीटर आगे जाने पर पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वाहन में सवार एक अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे अभियुक्त ने पुलिस टीम से घिरता देखकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए दिनांक 08.11.2026 को समय करीब 06:10 बजे घायल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फूलपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दिलशाद उर्फ दिलशान पुत्र सगीर उर्फ बादशाह, निवासी ग्राम सोफीगढ़, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी के 03 भैंस एवं 01 बकरी (कुल 04 पशु)।
2. एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक खोखा कारतूस .315 बोर।
3. चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन, जिस पर परिवर्तित नम्बर UP62BY4388 अंकित था, जबकि वास्तविक नम्बर UP62BT4388 है।

पूछताछ एवं अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)-

प्रारम्भिक पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिलशान ने बताया कि वह अपने साथी दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा पुत्र मोहम्मद निवासी मेहियापार, थाना अहरौला, सलमान पुत्र नन्हे निवासी सोफीगढ़, थाना अहरौला तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पशु चोरी की घटनाएं करता था।

अभियुक्त ने बताया कि गिरोह के सदस्य व्यापारी बनकर गांवों में घूमते थे तथा गाय, भैंस एवं बकरियों को बाहर बंधा देखकर उनकी रेकी करते थे। इसके बाद रात्रि में मौका पाकर पशुओं को चोरी कर पिकअप वाहन में लाद लेते थे। चोरी की पहचान छिपाने के लिए वाहन पर परिवर्तित नम्बर प्लेट लगाकर पशुओं को अपने निर्धारित ठिकानों पर रखते थे तथा मौका मिलने पर दूर-दराज के पशु बाजारों में अज्ञात व्यापारियों को बेच देते थे। बिक्री से प्राप्त धनराशि को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 01.11.2026 की रात्रि ग्राम नरदह चक एवं आदममऊ से दो भैंस तथा दिनांक 28.10.2026 की रात्रि ग्राम बनकट से एक बकरी चोरी की थी। इसके अतिरिक्त थाना बरदह क्षेत्र से भी एक भैंस चोरी करने की बात बताई गई है। दिनांक 08.11.2026 को वह अपने साथी के साथ चोरी किए गए तीन भैंस एवं एक बकरी को पिकअप में लादकर जौनपुर के मड़ियाहूं पशु बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। अभियुक्त ने बताया कि आसपास के पशु व्यापारियों को उनके गिरोह की गतिविधियों की जानकारी होने के कारण वे चोरी के पशुओं को दूर-दराज के बाजारों में बेचने का प्रयास करते थे।

इस प्रकार अभियुक्त द्वारा थाना सरायमीर, दीदारगंज, अहरौला एवं बरदह क्षेत्र में पशु चोरी की घटनाओं में संलिप्तता बताई गई है। बरामद पशुओं की सम्बन्धित पीड़ितों/वादियों द्वारा पहचान किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं गिरोह के अन्य सदस्यों तथा अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जांच की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग एवं विधिक कार्यवाही-

थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2026 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम पर फायरिंग, अवैध असलहे की बरामदगी एवं पिकअप वाहन पर परिवर्तित नम्बर प्लेट लगाकर चोरी की घटनाएं कारित करने के सम्बन्ध में धारा 109(1), 318(4), 336(3), 340(2), 317(2), 3(5) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त एक अन्तर्जनपदीय शातिर एवं अभ्यस्त पशु चोर है, जो संगठित गिरोह बनाकर विभिन्न जनपदों में पशु चोरी, गोवध एवं अन्य संगीन अपराधों को अंजाम देता रहा है। इसके विरुद्ध पशु चोरी, गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, अवैध शस्त्र रखने एवं पुलिस पर जानलेवा हमले से सम्बन्धित कुल 22 अभियोग जनपद आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, मऊ एवं संतकबीरनगर में पंजीकृत हैं।

अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिलशान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0133/2020, धारा 3, 5, 8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 307 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 0361/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 0063/2023, धारा 174-A भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 0300/2023, धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

5. मु0अ0सं0 0037/2024, धारा 2(b)(xv), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 0244/2025, धारा 309(6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 0118/2020, धारा 3, 5, 8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 0340/2016, धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम एवं धारा 207 मोटरयान अधिनियम, 1988, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 0167/2019, धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 0012/2020, धारा 307, 411, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 0094/2019, धारा 25/3 आयुध अधिनियम, 1959, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 0220/2024, धारा 25/7 आयुध अधिनियम, धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 0012/2022, धारा 379, 411 भादवि, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर।
14. मु0अ0सं0 0071/2025, धारा 309(4), 317(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।
15. मु0अ0सं0 0039/2022, धारा 395, 412 भादवि, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर।
16. मु0अ0सं0 0011/2022, धारा 382, 411 भादवि, थाना फूलपुर (गोमती कमिश्नरेट), जनपद वाराणसी।
17. मु0अ0सं0 0001/2020, धारा 379, 411 भादवि, थाना रानीपुर, जनपद मऊ।
18. मु0अ0सं0 0009/2025, धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
19. मु0अ0सं0 0168/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम, थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर।
20. मु0अ0सं0 0285/2021, धारा 3/5A/8 उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, धारा 11, 3 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 429 भादवि, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर।
21. मु0अ0सं0 0210/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर।
22. मु0अ0सं0 09/2022, धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 41, 411 भादवि, थाना जफराबाद, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे, उ0नि0 नीरज गौड़, उ0नि0 प्रशान्त सिंह, हे0का0 ओमकार मौर्या, का0 विशाल सिंह, का0 अंशू दीक्षित, म0का0 कुसुम सिंह, का0 अरविन्द गौतम, का0 संजीव कुमार यादव, हे0का0 विजय प्रकाश एवं का0 मुन्दन कुमार (थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़)।

विशेष योगदान- उ0नि0 शशिकान्त, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 विशाल मल्ल, का0 गुलाम रब्बानी एवं का0 विकास ठाकुर (विशेष टीम/चोरी अनावरण) तथा का0 दिनेश यादव (सर्विलांस सेल)।